न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्रीमती सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
489 / 2022	15.09.2022	7/5/26

विमला देवी पत्नी हाकिम चंद, मीना नि. उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर ——वादिया

बनाम

1. तारेश पुत्र बाबूलाल, खाती निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
2. धारासिंह पुत्र श्यामलाल, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
3. फूलमाला पुत्री रामनिवास, खाती निवासी कस्बॉ शहर तह0 नादौती
4. भगवजी पुत्र विशल्ली, खाती निवासी ईदगाह के पास, गंगापुर सिटी
5. भीमसिंह पुत्र श्यामलाल, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
6. राजन्ती पत्नी श्यामलाल, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
7. रामदयाल पुत्र रामनिवास, खाती निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
8. शिवदयाल पुत्र रामनिवास, खाती निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
9. सुनीतादेवी पत्नी मुकेश, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
10. सपना पुत्री हरदयाल, खाती निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
11. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा उदेईखुर्द
12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वजीरपुर
13. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम खान, एडवोकेट, वादिया की ओर से
श्री संजय कुमार शर्मा, एड. प्रतिवादी संख्या 2,5,6,9 की ओर से

निर्णय

वादिया ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि वादिया एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की भूमि ख0न0 1597 रकबा 6.74 है0 ग्राम उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर मे स्थित है। पक्षकारों के मध्य करीब 30 साल पूर्व से अपने हिस्से अनुसार मौखिक रूप से विभाजन किया हुआ है तथा उसी अनुसार भूमि पर काबिज है। भूमि रिकॉर्ड मे सहखातेदारी मे दर्ज होने के कारण आये विवाद होते रहते है। वादिया ने दिनांक 12.09.2022 को प्रतिवादीगण को तहसील मे चलकर आपसी सहमति से भूमि का विभाजन कराने को कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने भूमि का विभाजन कराने मे सहमति व्यक्त नही की। इसलिए वादिया को यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादिया एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की भूमि ख0न0 1597 रकबा 6.74 है0, ग्राम उदेईखुर्द का वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए मौखिक विभाजन के अनुसार एवं कब्जे, हिस्से के अनुसार पृथक पृथक विभाजन किया जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद

फरमाया जावे कि वे वादिया को उसके हिस्से की एवं कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल नही करे ना ही किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6, 9 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि भूमि ख0न0 1597 रकबा 6.74 है0 ग्राम उदेईखुर्द मे स्थित है। जिसमे जबाबदार संख्या 2 का हिस्सा 79/1080, जबाबदार संख्या 5 का हिस्सा 1/6, जबाबदार संख्या 6 का हिस्सा 1/6 एवं जबाबदार संख्या 9 का हिस्सा 1/6 दर्ज है। इसी अनुसार जबाबदारान अपने हिस्से पर काबिज है। वादिया का इस भूमि मे 1/6 हिस्सा दर्ज है। जिस पर वह काबिज काश्त है। जबाबदारान का वादिया के हिस्से की भूमि से कोई वास्ता नही रहा है ना ही कोई लडाई झगडा कब्जे के सम्बन्ध मे व भूमि के उपयोग के सम्बन्ध मे हुआ है। दावे मे वर्णित भूमि ख0न0 1597 का विभाजन मौके पर वादिया एवं जबाबदारान के कब्जे काश्त के अनुसार कर दिया जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादिया ने नकल जमाबंदी संवत 2076—2079 खाता संख्या 325 ग्राम उदेईखुर्द प्रस्तुत की है।

जबाब के समर्थन मे प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है।

दिनांक 15.5.2025 को वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार वजीरपुर से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार वजीरपुर के यहॉ से पत्रांक भूअ/2025/939 दिनांक 13.10.2025 द्वारा विभाजन स्कीम इस न्यायालय को भिजवायी गई। तहसीलदार वजीरपुर द्वारा भिजवायी गई विभाजन स्कीम मे सभी काश्तकारों के नाम अंकित नही किये जाने के कारण तहसीलदार वजीरपुर से पुनः विभाजन स्कीम प्राप्त की गई। तहसीलदार वजीरपुर के पत्रांक भूअ/2025/199 दिनांक 20.2.206 से संशोधित विभाजन स्कीम इस न्यायालय मे भिजवायी गई। जो पत्रावली मे संलग्न है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का तथा तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार वजीरपुर के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. विमला देवी पत्नी हाकिम चंद हि0 पूर्ण जाति मीना सा.देह खातेदार राहिन पूर्ण पीएनबी शाखा गंगापुर की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1597/1 रकबा 1.1233 है0 ग्राम उदेईखुर्द रहेगी।

2. तारेश पुत्र बाबूलाल हि0 1/180 खाती, सा. देह खातेदार, धारासिंह पुत्र श्यामलाल हि0 79/900 जाति मीना सा0 देह खातेदार, फूलमाला पुत्री रामनिवास हि0 1/30, खाती सा0 देह खातेदार, भगवती पुत्र विशल्ली हि0 1/5 जाति खाती सा0 देह खातेदार, भीमसिंह पुत्र श्यामलाल हि0 1/5 जाति मीना सा. देह खातेदार राहिन 1/5 एसबीआई शाखा उदेईखुर्द, राजन्ती पत्नी श्यामलाल हि0 1/5 जाति मीना सा. देह खातेदार, रामदयाल पुत्र रामनिवास हि0 1/30 जाति खाती सा. देह खातेदार, शिवदयाल पुत्र रामनिवास हि0 1/30 जाति खाती सा. देह खातेदार, सुनीता देवी पत्नी मुकेश हि0 1/5 जाति मीना राहिन एसबीआई उदेईखुर्द सा. देह खातेदार, सपना पुत्री हरदयाल हि0 1/150 जाति खाती सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1597/2 रकबा 5.6167 है0 ग्राम उदेईखुर्द रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। इन खातों मे दर्ज बैंक रहन यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ...26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

उनवान

विमला देवी पत्नी हाकिम चंद, मीना नि. उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर —–वादिया

बनाम

1. तारेश पुत्र बाबूलाल, खाती निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
2. धारासिंह पुत्र श्यामलाल, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
3. फूलमाला पुत्री रामनिवास, खाती निवासी कस्बॉ शहर तह0 नादौती
4. भगवजी पुत्र विशल्ली, खाती निवासी ईदगाह के पास, गंगापुर सिटी
5. भीमसिंह पुत्र श्यामलाल, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
6. राजन्ती पत्नी श्यामलाल, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
7. रामदयाल पुत्र रामनिवास, खाती निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
8. शिवदयाल पुत्र रामनिवास, खाती निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
9. सुनीतादेवी पत्नी मुकेश, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
10. सपना पुत्री हरदयाल, खाती निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
11. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा उदेईखुर्द
12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वजीरपुर
13. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा गंगापुर सिटी —–प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 489 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री संजय कुमार शर्मा एड. मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार वजीरपुर के यहाँ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. विमला देवी पत्नी हाकिम चंद हि0 पूर्ण जाति मीना सा.देह खातेदार राहिन पूर्ण पीएनबी शाखा गंगापुर की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1597 / 1 रकबा 1.1233 है0 ग्राम उदेईखुर्द रहेगी।

2. तारेश पुत्र बाबूलाल हि0 1 / 180 खाती, सा. देह खातेदार, धारासिंह पुत्र श्यामलाल हि0 79 / 900 जाति मीना सा0 देह खातेदार, फूलमाला पुत्री रामनिवास हि0 1 / 30, खाती सा0 देह खातेदार, भगवती पुत्र विशल्ली हि0 1 / 5 जाति खाती सा0 देह खातेदार, भीमसिंह पुत्र श्यामलाल हि0 1 / 5 जाति मीना सा. देह खातेदार राहिन 1 / 5 एसबीआई शाखा उदेईखुर्द, राजन्ती पत्नी श्यामलाल हि0 1 / 5 जाति मीना सा. देह खातेदार, रामदयाल

पुत्र रामनिवास हि0 1/30 जाति खाती सा. देह खातेदार, शिवदयाल पुत्र रामनिवास हि0 1/30 जाति खाती सा. देह खातेदार, सुनीता देवी पत्नी मुकेश हि0 1/5 जाति मीना राहिन एसबीआई उदेईखुर्द सा. देह खातेदार, सपना पुत्री हरदयाल हि0 1/150 जाति खाती सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1597/2 रकबा 5.6167 है0 ग्राम उदेईखुर्द रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। इन खातों मे दर्ज बैंक रहन यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 7/5/2026 को जारी किया गया ।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर